बिहार सरकार

<u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u>

पत्रांक–प्र06–विविध–32/2011 1653 खाद्य–पटना/दिनांक–19.04.2020

प्रेषक,

संगीता सिंह,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

मिशन निदेशक
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी,
(सामान्य प्रशासन विभाग)
सिंचाई बैरक नं0–1, हार्डिग रोड,
पटना – 800015

विषय :– बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत शामिल किये गये नये सेवाओं हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या–17408 दिनांक–30.12.2016 के परिशिष्ट–2 में कोविड–19 के कारण घोषित आपदा की स्थिति में संशोधन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत जीविका के माध्यम से राशन कार्ड निर्गमन एवं संशोधन हेतु प्राप्त आवेदनों के ससमय निष्पादन हेतु अधिसूचना संख्या–17408 दिनांक–30.12.2016 के परिशिष्ट–II एवं अधिसूचना संख्या–11960 एवं 11961 दिनांक 15.09.2017 के द्वारा उक्त सेवाओं हेतु निर्धारित समय–सीमा में वर्तमान में कोविड–19 से उत्पन्न वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए छुटे हुए लाभुकों को आच्छादित करने हेतु तत्काल संशोधन करने की आवश्यकता है, ताकि छुटे हुए पात्र लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अविलंब आच्छादित करते हुए योजना का ससमय लाभ मिल सके।

अतः अनुरोध है कि विशेष परिस्थिति में जीविका के सामुदायिक संगठनों के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पत्रों पर त्वरित कार्रवाई हेतु बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत राशन कार्ड निर्गमन एवं संशोधन हेतु प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई हेतु पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक–1, परिशिष्ट–I एवं परिशिष्ट–II के आलोक में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

अनु0:– यथोक्त ।

19/4
विशेष कार्य पदाधिकारी।

C:\Users\www\Desktop\Jeevika.doc

ज्ञापांक– प्र06–विविध–32/2011 1653 खाद्य–पटना/दिनांक– 19.04.2020
प्रतिलिपि – अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/4/2020

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–32/2011 1653 खाद्य–पटना/दिनांक– 19.04.2020
प्रतिलिपि – मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/4/2020

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–32/2011 –1653 खाद्य–पटना/दिनांक– 19.04.2020
प्रतिलिपि – अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/4/2020

विशेष कार्य पदाधिकारी।

C:\Users\www\Desktop\Jeevika.doc

अनुलग्नक–1

जीविका के सामुदायिक संगठनों के माध्यम से राशन कार्ड निर्गमन एवं संशोधन हेतु बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के आलोक में प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई के संबंध में

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 में संशोधन हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या–18 लो0से0अ0–12–01/ 2016(खंड)–17408 दिनांक 30.12.2016 के परिशिष्ट–2 में आवश्यक कागजात हेतु चेक लिस्ट एवं अधिसूचना संख्या–11960 एवं 11961 दिनांक–15.09. 2017 के द्वारा उक्त सेवाओं हेतु समय–सीमा निर्धारित है, जिसमें तत्काल कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थिति के मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से अनौपचारिक परामर्श के आलोक में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

1. निर्धारित एप के माध्यम से प्राप्त आवेदनों, फोटो, सदस्यों का आधार कार्ड, प्रपत्र "क" के क्रमांक–10 के अनुरूप स्वघोषित घोषणा पत्र, बैंक खाता का प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिस पर खाताधारी का नाम, पता, IFSC Code रहता है, का मुद्रित प्रपत्र जीविका प्रखंड कार्यालय द्वारा संग्रहित करते हुए RTPS केन्द्रों पर समर्पित की जायेगी। विशेष परिस्थिति में हार्ड कॉपी में भी आवेदन लिये जा सकते है।
2. आवासीय प्रमाण पत्र के स्थान पर जीविका समुदायिक संगठन (ग्राम संगठन/संकुल स्तरीय संघ) का प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
3. प्रपत्र–क के क्रमांक–10 के अनुरूप शपथ पत्र के स्थान पर आवेदक का स्वघोषित प्रमाण पत्र मान्य होगा।
4. प्रखंड परियोजना प्रबंधक/सहायक प्रखंड परियोजना प्रबंधक, जीविका के द्वारा एक साथ मुद्रित, संग्रहित आवेदनों को RTPS केन्द्रों पर तत्काल जमा किया जायेगा एवं RTPS केन्द्रों के द्वारा एक दिन के अंदर पंजीकरण करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जायेगी।
5. हस्ताक्षर के स्थान पर स्वघोषित शपथ पत्र ही मान्य होगा।
6. राशन कार्ड में नये नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिया जा सकेगा (नये जन्म एवं मृत्यु के आवेदनों को छोड़कर) ।
7. प्रखंड विकास पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों पर त्वरित गति से जाँच कराते हुए दो दिनों के अंदर अनुमंडल पदाधिकारी को वापस करेंगे। तत्पश्चात् सात दिनों के अंदर राशन कार्ड निर्गत करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी।
8. संपूर्ण भरे गये आवेदनों का डाटा बेस मांग के अनुसार जीविका द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

जीविका को तत्काल प्रभाव से एप के माध्यम से आवेदन संग्रहण एवं RTPS केन्द्रों पर आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाती है। साथ ही, उक्त प्रक्रिया में कोविड–19 को रोकथाम एवं फैलाव हेतु सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया जाय।

<u>परिशिष्ट – I</u>

जीविका के सामुदायिक संगठनों के माध्यम से राशन कार्ड निर्गमन एवं संशोधन हेतु प्राप्त आवेदनों के निष्पादन हेतु अधिसूचना संख्या–11960 दिनांक–15.09.2017 में तत्काल निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

क्र0 सं0	विभाग का नाम/सेवा का नाम		नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा	अपीलीय प्राधिकार	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु सीमा	पुनर्विलोकन प्राधिकार	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु समय सीमा
1	2		3	4	5	6	7	8
1	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। (i) नये राशन कार्ड का निर्गमन	(क) प्राप्त आवेदनों के जांचोपरान्त अनुशंसा के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापन	प्रखंड विकास पदाधिकारी	2 कार्य दिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	7 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	7 कार्य दिवस
		(ख) अनुशंसा के साथ प्राप्त होने के पश्चात् अपेक्षानुसार सत्यापन एवं निर्णय	अनुमंडल पदाधिकारी	7 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	7 कार्य दिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	7 कार्य दिवस
2	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। (ii) राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन/ नाम जोड़ना/ नाम हटाना)	(क) प्राप्त आवेदनों के जांचोपरान्त अनुशंसा के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापन	प्रखंड विकास पदाधिकारी	2 कार्य दिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	7 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	7 कार्य दिवस
		(ख) अनुशंसा के साथ प्राप्त होने के पश्चात् अपेक्षानुसार सत्यापन एवं निर्णय	अनुमंडल पदाधिकारी	7 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	7 कार्य दिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	7 कार्य दिवस

C:\Users\www\Desktop\Jeevika.doc

परिशिष्ट – II

जीविका के सामुदायिक संगठनों के माध्यम से राशन कार्ड निर्गमन एवं संशोधन हेतु प्राप्त आवेदनों के साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक कागजात (चेक लिस्ट)

सेवा का नाम	चेक लिस्ट
1. नये राशन कार्ड का निर्गमन	1. आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र "क" में। 2. सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति। 3. बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसपर खाताधारी का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक का IFSC Code रहता है। 3. जीविका, सामुदायिक संगठन (ग्राम संगठन/संकुल स्तरीय संघ) का प्रमाण पत्र 4. प्रपत्र "क' के क्रमांक–10 के अनुरूप शपथ पत्र के स्थान पर आवेदक का स्वघोषित प्रमाण पत्र 5. सम्पूर्ण परिवार का तीन फोटोग्राफ 6. स्वघोषित शपथ पत्र
2. राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन/नाम जोड़ना/नाम हटाना)	1. राशन कार्ड में नये नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिया जा सकता है (नये जन्म एवं मृत्यु के आवेदनों को छोड़कर) 2. आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र "ख" में 3. व्यक्ति जिसका नाम जोडा जाना है, के आधार कार्ड की छायाप्रति 4. विभागीय आवेदन प्रपत्र "ख" के क्रमांक–8 एवं 9 के संबंध में लागू कारण के प्रमाण पत्र की छायाप्रति यथा– (i) जीविका, सामुदायिक संगठन (ग्राम संगठन/संकुल स्तरीय संघ) का प्रमाण पत्र (ii) जन्म/मृत्यु का प्रमाण पत्र